भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या997

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

एन.डी.एफ.बी. (एस) के उग्रवादियों को गिरफ्तार किया जाना

997. श्री सन्तियुस कुजुरः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 2014 में असम के चिरंग, सोनितपुर और कोकराझार जिलों में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (सोंगीब्जीत) (एन डी एफ बी) (एस) द्वारा किए गए हमलों में कितने लोग मारे गए और इन लोगों के नाम क्या-क्या हैं और उनकी आयु कितनी-कितनी है;
(ख) 'आपरेशन ऑल आउट' के माध्यम से कितने एन डी एफ बी (एस) उग्रवादी गिरफ्तार किए गए और तलाशी के दौरान कितने हथियार जब्त किए गए और कितने एन डी एफ बी (एस) उग्रवादियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और 'आपरेशन ऑल आउट' की मौजूदा स्थिति क्या है;
(ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों के लिए घोषित अनुग्रह राशि की स्थिति क्या है; और
(घ) क्या राहत शिविरों में उन्हें यथोचित भोजन, पेय जल, विद्युत, दवाइयां और गर्म कपड़े आदि मिल रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (घ): रिपोर्ट के अनुसार, उग्रवादी समूह नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (सांगबीजीत) (एनडीएफबी/एस) के कैडरों ने दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 को असम के तीन जिलों में महिलाओं और बच्चों सहित 66 लोगों की हत्या की थी। हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के नाम और आयु के ब्यौरे राज्य स्तर पर रखे जाते हैं।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 से 28 फरवरी, 2015 की अवधि के दौरान, आपरेशनों के दौरान एनडीएफबी/एस समूह के 214 कैडर/संपर्क व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और हथियार एवं गोलाबारूद बरामद किया गया था। एनडीएफबी (एस) उग्रवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों द्वारा आपरेशन जारी हैं। राज्य सरकार ने हिंसा में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों (एनओके) को वयस्कों के लिए 5 लाख रु. और नाबालिगों के लिए 3 लाख रु. की अनुग्रह राशि का भुगतान उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने सभी मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को 3 लाख रु. उपलब्ध कराए हैं। असम राज्य सरकार ने औषधियों, आदि सहित राहत सामग्री उपलब्ध कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, सभी पीड़ित अपने जन्म स्थान/गांवों में वापस चले गए हैं और सभी राहत शिविरों को बंद कर दिया गया है।

****